न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

<u>प्रकरण संख्या– अपील./टीए/4708/2005/उदयपुर</u>

1. नारायणसिंह पुत्र मोडसिंह
2. श्रीमती भंवरकंवर पत्नी मेहताब
3. श्रीमती फेफकंवर पत्नी गणपतसिंह
4. श्रीमती धापूकंवर पत्नी गणपतसिंह
5. कानसिंह पुत्र चतरसिंह
6. माधुसिंह पुत्र भूरसिंह
7. भैंरूसिंह पुत्र भूरसिंह

–समस्त निवासीगण ग्राम जेमा का खेडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द

– अपीलार्थी/वादीगण

बनाम

1. हरीसिंह पुत्र अमरसिंह
2. श्रीमती धनकंवर पत्नी स्व. अमरसिंह

–समस्त निवासीगण ग्राम जेमा का खेडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द

3. किशोरसिंह
4. भगवानसिंह
5. छैलसिंह

–पुत्रगण चतरसिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम जेमा का खेडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द

6. राजस्थान सरकार।

– प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण

<u>खण्डपीठ</u>
श्री सी.आर.मीणा, सदस्य
श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थित

श्री ओ.एल.दवे, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री एस.एल.बोहरा, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः– 15–12–2021

यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,

उदयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01-8-2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलार्थीगण ने सहायक जिला कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भीम के न्यायालय में एक दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 53, 54, 188 बाबत ग्राम जेमा का खेडा स्थित विवादित आराजी कुल किता 47 कुल रकबा 112 बीघा 14 बिस्वा भूमि के संबंध में प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद पत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किये जाने की प्रार्थना की। उक्त जवाबदावे के कम में वादीगण ने अपना जवाऊल जवाब पेश कर अंकित तथ्यों को अस्वीकार किया। विचारण न्यायालय ने दावे, जवाबदावे एवं जवाऊल जवाब के आधार पर दादरसी सहित 6 तनकियात कायम करने के उपरान्त उभयपक्ष की दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य लिपिबद्ध किये जाने के उपरान्त बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 28-10-2004 से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध वादीगण/अपीलार्थीगण की ओर से प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदने राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 01-8-2005 से खारिज कर दिया। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा यह द्वितीय मण्डल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण/वादीगण ने अपनी बहस में अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि मूल वाद के विचाराधीन रहने के दौरान प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी पेश कर न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होना प्रकट कर दावा चलने योग्य नहीं होने के

कारण खारिज कर दिया। ऐसी स्थिति में यह तनकी निर्मित्त कर दावे का निर्णय नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि पूर्व निर्णय गुणावगुण पर आधारित नहीं था। उनका आगे कहना है कि तनकी संख्या 5 वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध होने के कारण प्रथम अपीलीय न्यायालय को प्रकरण को विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना चाहिए था। उनका यह भी कहना है कि धारा 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज होने के बाद न्यायालय को उसके विपरीत निर्णय पारित नहीं कर सकता। उनका तर्क है कि वादीगण ने प्रश्नगत रकबा 112 बीघा 14 बिस्वा भूमि बाबत वाद पेश किया है, जबकि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने केवल 58 बीघा 4 बिस्वा उल्लेखित कर निर्णय प्रदान किया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। उनका तर्क है कि आराजी पैतृक सम्पत्ति होने के कारण भूरसिंह को किसी एक लडके के हक में बख्शीश करने का अधिकार नहीं है तथा समस्त संतान बराबर की हकदार है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत द्वितीय अपील को स्वीकार कर सहायक जिला कलक्टर भीम द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28-10-2004 एवं भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर द्वारा तनकी संख्या 5 में दिए गए विनिश्चत को यथावत रखते हुए शेष निर्णय व डिक्री को निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

5. योग्य अधिवक्तागण प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि प्रश्नगत आराजी के संबंध में इन्हीं पक्षकारान के मध्य पूर्व में वाद संख्या 76/81 संस्थित किया गया, उक्त वाद में राजीनामा प्रस्तुत होने पर न्यायालय ने आलोच्य दावा राजीनामे के आधार पर दिनांक 31-3-1983 को डिक्री किया था। उक्त निर्णय को अपीलार्थीगण द्वारा किसी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष चुनौती पेश नहीं की है, इस कारण उक्त वाद में पारित निर्णय अन्तिम हो गया है। उनका आगे कहना है कि प्रश्नगत आराजी पर पिछले 40 वर्ष से प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उनका तर्क है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में वर्ष 1976 में किए गए संशोधनानुसार आदेश 23 नियम 3-ए जोडा गया है, जिसके अनुसार नया दावा बाधित है। उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि सम्मत होने के कारण ऐसे निर्णय के विरूद्ध आलोच्य द्वितीय अपील सारहीन होना पायी जाती है। तदनुसार प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन होने के कारण चलने योग्य नहीं है। अन्त में

उन्होंने प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने का निवेदन किया। उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में 2001 आरबीजे 395, 1999 आरबीजे 193, 2000 आरआरसी 146, 2002 आरबीजे 634, 2004 (3) 1369, 2003 आरबीजे 245 व 170, 2001 आरआरटी 882, 1999 आरएलआर राज. 518, 2001 डीएनजे एससी 118, 1999 एससी एआईआर 2213, 1982 एससी एआईआर 679, 1983 आरआरडी 159 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किए।

7. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली एवं पारित निर्णयों एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया।

8. हस्तगत प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों एवं उपलब्ध पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत आराजी के संबंध में इन्हीं पक्षकारान के मध्य पूर्व में वाद संख्या 76/81 बउनवान मोडूसिंह वगैरहा बनाम अमरसिंह वगैरहा संस्थित हुआ था। उक्त वाद को न्यायालय ने राजीनामे के अनुसार दिनांक 31-3-1983 को डिक्री किया था। उक्त तथ्यात्मक परिवेश में विधायिका की भावना के अनुसार वादीगण इसी प्रश्नगत आराजियात के बाबत पुनः विभाजन के अधिकारी नहीं रह जाते है। मामले में पूर्व में पारित उक्त डिक्री के अनुसार वादीगण अपने हिस्से में आयी भूमि बाबत प्रतिवादीगण दखल करें तो नियमानुसार स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकते है किन्तु समस्त आराजियात के संबंध में वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। रेकार्ड से यह भी प्रदर्शित होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता को बख्शीश के माध्यम से भूमि प्राप्त हुई है एवं शेष आराजियात का बंटवारा कराने के दोनों पक्ष अब अधिकारी नहीं है। चूंकि पूर्व में इसी भूमि के बाबत आपसी राजीनामे के आधार पर विभाजन की नियमानुसार डिक्री जारी हो चुकी है।

9. प्रकरण में यह भी स्थिति प्रकट होती है कि प्रश्नगत आराजी के बाबत इन्हीं पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा पूर्णतया विचारण न्यायालय द्वारा निर्णित हो चुका है। इससे यह स्पष्ट है कि सिविल

प्रक्रिया संहिता की धारा 11 व आदेश 23 नियम 3(ए) के विधिक प्रावधानों के अनुसार वादीगण प्रश्नगत आराजियात के बारे में पुनः वाद दायर करने के अधिकारी नहीं रह जाते है। उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री उपलब्ध साक्ष्य व विधि के प्रावधानान्तर्गत पारित किए जाने के कारण ऐसे निर्णय में द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। सारांशतः प्रस्तुत द्वितीय अपील में असंगत आधारों को अभिवचित करने के कारण तथा विधि का उपचार उपलब्ध नहीं होने के कारण अपीलार्थीगण किसी प्रकार के अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन पायी जाने के कारण खारिज किए जाने योग्य प्रतीत होती है।

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01-8-2005 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेश कुमार)
सदस्य

(सी.आर.मीणा)
सदस्य